

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2887

दिनांक 10 मार्च, 2026

कृषि विश्वविद्यालयों में औद्योगिक-अकादमिक सहयोग

2887. श्री बी. के. पार्थसारथी :

श्री केसिनेनी शिवनाथ :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कृषि विश्वविद्यालयों में इंटरनशिप, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, प्राध्यापकों का आदान-प्रदान और उद्योग-आधारित पाठ्यक्रम विकास सहित औद्योगिक-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम सुधारों संबंधी छठवीं डीन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी कर रही है और यदि हाँ, तो निर्धारित मानदंडों का पालन करने वाले और न करने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत पांच वर्षों के दौरान पाठ्यक्रम उन्नयन, डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म, प्रयोगशालाओं और अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों को स्वीकृत और जारी की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) छात्र नियोजन, कौशल विकास और अनुसंधान आउटपुट पर ऐसे उपायों के प्रभाव का यदि कोई मूल्यांकन किया गया है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 13 अंडर ग्रेजुएट (UG) विषयों के लिए छठी डीन समिति की रिपोर्ट में प्रावधान किए गए हैं ताकि यूजी के पहले एवं दूसरे वर्ष के बाद तथा साथ ही यूजी प्रोग्राम के आठवें सेमेस्टर के दौरान उद्योग के साथ सहयोग करते हुए इंटरनशिप ली जा सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी पशुचिकित्सा स्नातक B.V.Sc. & AH छात्रों को प्रतिमाह 3000 रुपये की दर पर छह माह के लिए पशुचिकित्सा इंटरनशिप प्रदान करता है। इंटरनशिप में फार्म में तथा साथ ही पशुचिकित्सा अस्पतालों में सटीक रूप से निर्धारित कार्यक्रम शामिल हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उद्योग जगत के साथ संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार से सहयोग प्रदान करता है। इसमें प्रत्यायन के माध्यम से गुणवत्ता की जाँच, शिक्षकों की क्षमता में सुधार, छात्रवृत्तियों और फेलोशिप के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, कृषि फार्मों का आधुनिकीकरण, आईटी सहायता उपलब्ध कराना तथा पुस्तकालयों सहित आधारभूत संरचना और सुविधाओं का उन्नयन करना शामिल है।

(ख) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP) के साथ पाठ्यक्रमों का तालमेल बिठाने हेतु दिनांक 25 सितम्बर, 2024 से छठी डीन समिति की सिफारिशों को लागू किया गया है। इसे 75 कृषि विश्वविद्यालयों (राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/ मानद विश्वविद्यालयों/ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों/ कृषि संकाय की सुविधा वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों) में लागू किया गया है (राज्य-वार सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है)।

(ग) : “भारत में उच्चतर कृषि शिक्षा का सुदृढीकरण एवं विकास” योजना-स्कीम के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालयों (AUs) में सुविधाओं तथा आधारभूत संरचनाओं को अद्यतन बनाने, मजबूती प्रदान करने, आधुनिक बनाने और अभिवृद्धि करने के लिए राज्य-वार वित्तीय सहायता प्रदान की गई। राज्य-वार सूची संलग्न है (**अनुबंध-II**)।

(घ) : ऐसे हस्तक्षेपों का छात्रों के रोजगार नियोजन (प्लेसमेंट), कौशल विकास और अनुसंधान के परिणामों पर अतिरिक्त और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

{लोक सभा के दिनांक 10.03.2026 के अतारंकित प्रश्न सं. 2887 का भाग (ख)}

कृषि विश्वविद्यालयों में छठी डीन समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन की स्थिति			
क्र. सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों के नाम	क्या छठी डीन समिति की रिपोर्ट लागू की गई है
			हां /नहीं
1	आंध्र प्रदेश	आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, लाम-गुंटूर	हाँ
2		डॉ. वाईएसआर बागवानी विश्वविद्यालय, वेंकटरमणगुडेम	हाँ
3		श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरुपति	हाँ
4		आंध्र प्रदेश मत्स्य विश्वविद्यालय, नरसापुर, पश्चिम गोदावरी	हाँ
5	असम	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	हाँ
6	बिहार	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	हाँ
7		बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	हाँ
8		डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार	हाँ
9	छत्तीसगढ़	दाऊ श्री वासुदेव चंद्रशेखर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग	हाँ
10		इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय, रायपुर	हाँ
11		महात्मा गांधी बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग	हाँ
12	दिल्ली	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	हाँ
13	गुजरात	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद	हाँ
14		गुजरात प्राकृतिक खेती विज्ञान विश्वविद्यालय, हलोल, पंचमहल	हाँ
15		जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	हाँ
16		कामधेनु विश्वविद्यालय, गांधीनगर	हाँ
17		नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी	हाँ
18		सरदारकृषिनगर दंतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, दंतीवाड़ा	हाँ
19	हरियाणा	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	हाँ
20		लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	हाँ
21		महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, अंजनथली , करनाल	हाँ
22		राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	हाँ
23	हिमाचल प्रदेश	चौ. सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय , पालमपुर	हाँ
24		डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	हाँ
25	जम्मू एवं कश्मीर	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	हाँ
26		शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	हाँ
27	झारखंड	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	हाँ
28	कर्नाटक	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान, बीदर	हाँ
29		केलाडी शिवप्पा नायक कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगगा	हाँ

30		कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर	हाँ
31		कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	हाँ
32		कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर	हाँ
33		बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, बागलकोट	हाँ
34		केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर	हाँ
35	केरल	केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, पनंगड , कोच्चि	हाँ
36		केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पूकोड़े , वायनाड , केरल	हाँ
37		जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर	हाँ
38	मध्य प्रदेश	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	हाँ
39		राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर	हाँ
40		महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर	हाँ
41		डॉ. बालासाहिब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली	हाँ
42	महाराष्ट्र	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	हाँ
43		महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	हाँ
44		वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभणी	हाँ
45	मणिपुर	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल	हाँ
46	नागालैंड	नागालैंड यूनिवर्सिटी, लुमामी , जुन्हेबोटो (एग्रीकल्चरल फैकल्टी वाली यूनिवर्सिटी)	हाँ
47	ओडिशा	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	हाँ
48		गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना	हाँ
49	पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	हाँ
50		कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	हाँ
51		कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	हाँ
52	राजस्थान	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	हाँ
53		श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	हाँ
54		स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	हाँ
55		राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	हाँ
56		तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	हाँ
57	तमिलनाडु	तमिलनाडु डॉ जे जयललिता मत्स्य विश्वविद्यालय, नागपट्टिनम	हाँ
58		तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	हाँ
59		प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	हाँ
60	तेलंगाना	पी वी नरसिम्हा राव तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	हाँ
61		श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, हैदराबाद	हाँ

62	उत्तर प्रदेश	आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या	हाँ
63		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी (कृषि संकाय वाला विश्वविद्यालय)	हाँ
64		बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा	हाँ
65		चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	हाँ
66		भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली	हाँ
67		रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी	हाँ
68		सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	हाँ
69		यूपी पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा	हाँ
70		उत्तराखंड	जी बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर
71	वीसीएसजी उत्तराखंड बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार		हाँ
72	पश्चिम बंगाल	बिधान चंद्र कृषि विश्व विद्यालय, मोहनपुर	हाँ
73		उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय , कूच बिहार	हाँ
74		विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन (कृषि संकाय वाला विश्वविद्यालय)	हाँ
75		पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	हाँ

{लोक सभा के दिनांक 10.03.2026 के अतारांकित प्रश्न सं. 2887 का भाग (ग)}

पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान राज्यवार दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	12.38	8.20	5.78	9.02	15.48	50.86
2.	असम	16.40	14.19	11.64	6.76	13.35	62.34
3.	बिहार	4.25	6.79	5.65	6.08	15.29	38.06
4.	छत्तीसगढ़	9.23	6.61	8.46	9.10	9.18	42.58
5.	गुजरात	12.04	10.35	10.97	11.15	24.33	68.84
6.	हरियाणा	8.58	7.61	8.27	10.77	29.53	64.76
7.	हिमाचल प्रदेश	5.89	8.13	4.70	9.45	11.49	39.66
8.	जम्मू एवं कश्मीर	10.54	3.28	8.12	4.72	19.30	45.96
9.	झारखंड	0.51	0.51	0.55	0.29	0.51	2.37
10.	कर्नाटक	31.51	28.07	19.42	26.77	35.21	140.98
11.	केरल	9.36	10.19	6.41	6.34	10.85	43.15
12.	मध्य प्रदेश	11.08	8.33	7.44	9.69	17.03	53.57
13.	महाराष्ट्र	23.82	33.22	22.44	16.59	39.23	135.30
14.	मणिपुर	2.10	8.30	14.42	16.75	13.14	54.71
15.	नागालैंड	3.21	8.11	0.13	0.32	4.70	16.74
16.	नई दिल्ली	10.09	17.95	23.83	29.67	72.38	153.92
17.	उड़ीसा	4.64	2.75	3.68	2.78	5.40	19.25
18.	पंजाब	13.19	8.85	7.10	4.78	11.93	45.85
19.	राजस्थान	19.85	12.16	9.77	10.53	19.36	71.67
20.	तमिलनाडु	7.59	6.33	4.98	10.43	19.88	49.21
21.	तेलंगाना	7.01	7.91	5.94	11.81	12.56	45.23
22.	उत्तराखंड	6.29	4.26	3.35	6.15	27.06	47.11
23.	उत्तर प्रदेश	20.57	17.25	15.26	14.46	52.30	119.84
24.	पश्चिम बंगाल	9.67	8.35	4.10	5.22	9.66	37.00
	कुल	259.80	247.70	212.41	239.63	489.15	1448.96
